



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O) 07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E-Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0/मा.चि./न0क्र0-125/2021
प्रति,

592

अम्बिकापुर, दिनांक 23/03/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
अटल नगर रायपुर (छ0ग0)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Manendragarh Division "Bharatnet project which is a GOI initiative. Under this project, Connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic Fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber of 32,466 KM will involve 26 districts across the State" Area-5.612 ha.-regarding.

पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/43276/2019

- संदर्भ :-**
1. छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्र./एफ 5=8/2021/10-2 दिनांक 02.03.2021
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ0ग0 रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-837/733 दिनांक 12.03.2021
 3. वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल का पत्र क्र./त.अ./2021/1828 दिनांक 22.03.2021

—00—

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रायपुर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ0ग0 रायपुर के क्रमशः संदर्भित पत्र-1 एवं 2 द्वारा पूर्व प्रेषित व्यपवर्तन प्रस्ताव पर 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

उपरोक्तानुसार वांछित 3 बिन्दुओं की जानकारी वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के संदर्भित पत्र-3 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के संदर्भित पत्र-3 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
4.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र.11 में घनत्व 0.6 दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 (वनमण्डलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग-2) के बिन्दु क्र.vi में घनत्व 0.6 से अधिक लेख है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 (वनमण्डलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग-2) के बिन्दु क्र.vi में घनत्व 0.6 से है। भाग-2 की प्रति संलग्न है।
5.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 से 55 में वनमण्डलाधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली भाग-2 संबंधी प्रपत्र में वनमण्डलाधिकारी द्वारा बिन्दु क्र.7 में अपनी स्पष्ट अनुशंसा अंकित नहीं की गई है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 से 55 में वनमण्डलाधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली भाग-2 संबंधी प्रपत्र में वनमण्डलाधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. 7 में स्पष्ट अनुशंसा अंकित कर संलग्न है।

d:\dm section\memo diversion\125-bharatnet_mg_rai_02.doc -1-

e-mail
23-03-21

6.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 58 से 64 में वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "प्रपत्र-3" के बिन्दु क्र. 12 में "हां" अथवा "न" में टीप अंकित किया जाना था, जिसमें "निरंक" लेख किया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 58 से 64 में वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "प्रपत्र-3" के बिन्दु क्र. 12 में अपेक्षित टीप अंकित कर संलग्न है।
----	--	--

वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के संदर्भित पत्र-3 मय सहपत्र की प्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार 3 बिन्दुओं की जानकारी अनुशंसा सहित समक्ष में अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :- संदर्भित पत्र-3 मय सहपत्र।


मुख्य वन संरक्षक

पू०क्र०/मा.चि./न०क्र०- 125/2021
प्रतिलिपि :-

593

सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 23/03/2021

1. वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्य पालन अधिकारी, छ०ग० इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेंड फ्लोर एस.डी.सी. भवन सिविल लाईन्स रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)

E-mail :- divisionmanendragarh@rediffmail.com, Ph. 07771-241349, Fax 243731

क्रमांक/त.अ./2021/1828
प्रति,

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 22/03/2021

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वन वृत्त,
अबिकापुर, (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Manendragarh Division" Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 5.612 ha. Regarding.

संदर्भ :- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 05-08/2021/10-2 दिनांक 02.03.2021।
2 अ.प्र.मु.व.स. (मू-प्रबंध/व.स.अ) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/मू-प्रबंध/विविध/115-877/734 रायपुर, दिनांक 12/03/2021।
3. आपका पत्र क्रमांक/मा.ची./न.क्र.125/2021/1600 दिनांक 22.03.2021

—00—

प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा प्रकरण में 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। जिसका विवरण एवं निराकरण निम्नानुसार है -

क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
4.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 11 में घनत्व 0.6 दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 (वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग-2) के बिन्दु क्र. vi में घनत्व 0.6 से अधिक लेख है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 (वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग-2) के बिन्दु क्र. vi में घनत्व 0.6 से है। तदनुसार संदर्भित पत्र में उक्त संशोधन कर प्रेषित किया जा रहा है।
5.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 से 55 में वनमंडलाधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली भाग-2 संबंधी प्रपत्र में वनमंडलाधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. 7 में अपनी स्पष्ट अनुशंसा अंकित नहीं की गई है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 से 55 में वनमंडलाधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली भाग-2 संबंधी प्रपत्र में वनमंडलाधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. 7 में स्पष्ट अनुशंसा अंकित कर संलग्न है।
6.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 58 से 64 में वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "प्रपत्र-3" के बिन्दु क्र. 12 में "हाँ" अथवा "न" में टीप अंकित किया जाना था, जिसमें "निरंक" लेख किया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 58 से 64 में वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "प्रपत्र-3" के बिन्दु क्र. 12 में अपेक्षित टीप अंकित कर संलग्न है।

उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा प्रकरण में 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृष्ठा.क्रमांक/त.अ./2021/1829
प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
- 2.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़
मनेन्द्रगढ़, दिनांक 22/3/2021

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)

E-mail :- divisionmanendragarh@rediffmail.com, Ph. 07771-241349, Fax 243731

क्र.मांक/त.अ./2021/817
प्रति,

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 18/03/2021

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वन वृत्त,
अबिकापुर, (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Manendragarh Division" Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 5.612 ha. Regarding.

संदर्भ :- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 05-08/2021/10-2 दिनांक 02.03.2021।
2 अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध/व.स.अ) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-877/734 रायपुर, दिनांक 12/03/2021।

—00—

प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा प्रकरण में 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। जिसका विवरण एवं निराकरण निम्नानुसार है -

क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 11 में घनत्व 0.6 दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 (वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग-2) के बिन्दु क्र. vi में घनत्व 0.6 से अधिक लेख है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 (वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग-2) के बिन्दु क्र. vi में घनत्व 0.6 से अधिक लेख है। तदनुसार संदर्भित पत्र में उक्त संशोधन कार्यालय अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध/व.स.अ) छत्तीसगढ़ द्वारा किया जावेगा।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 से 55 में वनमंडलाधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली भाग-2 संबंधी प्रपत्र में वनमंडलाधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. 7 में अपनी स्पष्ट अनुशंसा अंकित नहीं की गई है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 से 55 में वनमंडलाधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली भाग-2 संबंधी प्रपत्र में वनमंडलाधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. 7 में स्पष्ट अनुशंसा अंकित कर संलग्न है।
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 58 से 64 में वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "प्रपत्र-3" के बिन्दु क्र. 12 में "हाँ" अथवा "न" में टीप अंकित किया जाना था, जिसमें "निरंक" लेख किया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 58 से 64 में वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "प्रपत्र-3" के बिन्दु क्र. 12 में अपेक्षित टीप अंकित कर संलग्न है।

उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा प्रकरण में 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृष्ठा.क्रमांक/त.अ./2021/818
प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
- 2.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन.अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

I.	परियोजना / स्कीम का स्थान	"भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोरिया
(iii)	वन प्रभाग	कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, परिक्षेत्र यहारारी, जनकपुर, कुवरपुर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर)	मनेन्द्रगढ़ वनमंडल - 5.612 हैं. आरक्षित वन - 0.967 हैं. संरक्षित वन - 4.401 हैं. राजस्व वन - 0.244 हैं.
(v)	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	प्रकरण में सड़क के सामानांतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जावेगी, किसी प्रकार के वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की संभावना नहीं है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, वाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं हैं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजित की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	नहीं हैं।

Divisional Forest Officer
Manendragarh

5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, गपए गपपन्तए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
6.	विभाग / जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6604 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	4116 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	7 प्रकरण 292.744 हेक्टर
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेतर भूमि पर	— हेक्टर
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेतर भूमि पर।	72.00 हेक्टर — हेक्टर
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2 के तहत ओ.एफ. सी. लाइन बिछाने से ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क आधारित संचार सुविधाओं स्थापित होगी अतः मनेन्द्रगढ़ वन मंडल अंतर्गत 5.612 हे. के व्यपवर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

उपस्थित/अपस्थित
मनेन्द्रगढ़ वन मंडल

हस्ताक्षर
Divisional Forest Officer
(Mandragarh)
सरकारी मोहर

दिनांक :- 14/01/2021
स्थान :- मनेन्द्रगढ़

11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बताये एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	मार्गों के मौजूदा राइट-ऑफ-वे के अन्तर्गत स्वीकृत जायदर केवल विधानों का कर्तव्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण दें।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण - प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये मौखिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुज्ञा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत नरसपुर ब्लॉक
जिला - कोरिया, छत्तीसगढ़

दिनांक 31/03/2020

जन. निरीक्षक

वन मंत्री

वन मंत्री

वन मंत्री

वनमंडल अधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल
जिला - कोरिया, (छत्तीसगढ़)